मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-५, अरेरा कालोनी, भोपाल

(0755) 2464428, 2466191 Fax: (0755) 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

क्रमांक 550 तक/प्रनिबो/2022 भोपाल, दिनांक 15 FEB 2022

-: कार्यालय आदेश :-

पर्यावरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19/1/2022 से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत सम्मति आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाने वाली स्थापना/उत्पादन सम्मति शुल्क में संशोधन किया गया है ।

ऐसे उद्योग जिनके द्वारा 1/1/2022 के पश्चात् पूर्व आगे की अवधि हेतु पूर्व में लागू दरों पर सम्मति शुल्क जमा किया गया है, उक्त उद्योगों द्वारा सम्मति शुल्क वापस किये जाने संबंधी आवेदनों के निराकरण हेतु निम्नानुसार प्रकिया लागू की जाती है :-

1 उद्योग द्वारा प्रस्तुत सम्मति शुल्क दिनांक 1/1/2022 के उपरांत की सम्मति आवेदन हेतु ही होना चाहिये ।

2 उद्योग द्वारा कब एवं कितनी राशि शुल्क के रूप में बोर्ड को जमा की गई है, इसका सत्यापन मुख्यालय में तकनीकी/लेखा शाखा द्वारा तथा क्षेत्रीय कार्यालय में संबंधित तकनीकी/लेखा स्टॉफ द्वारा किया जायेगा ।

3 उद्योग द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार कितना शुल्क आवश्यक है, तथा कितना शुल्क अतिरिक्त जमा हुआ है का सत्यापन मुख्यालय में तकनीकी शाखा के संबंधित यूनिट हेड द्वारा तथा क्षेत्रीय कार्यालय में संबंधित तकनीकी अधिकारी द्वारा किया जाना होगा ।

4 तकनीकी शाखा के संबंधित यूनिट हेड द्वारा शुल्क वापसी की राशि संबंधी प्रस्ताव सीधे लेखा शाखा को व क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय अधिकारी को प्रस्तुत किये जायेंगे ।

5 मुख्यालय की लेखा शाखा द्वारा शुल्क वापसी संबंधी कार्यवाही की जायेगी, शुल्क वापसी उपरांत संबंधित जानकारी एवं नस्ति संबंधित यूनिट हेड द्वारा रखी जायेगी ।

(ए0 ए0 मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ0क0 551 तक/प्रनिबो/2022 भोपाल, दिनांक 15 FEB 2022

प्रतिलिपि :-

4. निज सचिव, अध्यक्ष, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
5. समस्त यूनिट हेड/ समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर सूचनार्थ ।
6. वित्त अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
7. आईटी शाखा, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।